305

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर

R-2012 III/12

रामप्रसाद अहिरवार पुत्र श्री चेलान अहिरवार, निवासी– बकस्वाहा तहसील बकस्वाहा जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

जमना पुत्र कन्छेदी चमार, निवासी– बकस्वाहा तहसील बकस्वाहा जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

द्वारा आज दि. 4/7/12 को प्रस्तुत
4-7-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बकस्वाहा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 69/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम बकस्वाहा में स्थित खसरा नं. 1327 रकवा 0.024 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा विधिवत् रूप से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि वह विवादित भूमि का पड़ौसी कास्तकार है। उक्त सीमांकन कार्यवाही किये जाने से पूर्व उसे सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः उक्त सीमांकन अपास्त किये जाने योग्य है। इस वैधानिक आपत्ति पर विचार किये बिना जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदक रामप्रसाद बाबा हजारी ने 100 वर्ष पूर्व मकान बनाया था। उक्त मकान के कोई भूमि रामप्रसाद के नाम नहीं है। उक्त मकान एवं खाली जगह पर रामप्रसाद का विधिवत् कब्जा है। इस स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यहकि, आवेदक का मकान खसरा नं. 1326 रकवा 0.20 आरे के कुछ भाग में बना है। शेष भाग खाली है। उक्त खसरा नं. बड़ी बहू बेवा मुकुन्दा चमार एवं चेलान तनय हजारी के नाम थी। मुकुन्दा एवं चेलान सगे भाई थे। बड़ी बहू के

D. Chaturvedi 4/7/12

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2002–दो / 2012 जिला–छतरपुर

रामप्रसाद अहिरवार विरूद्ध जमना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बकस्वाहा, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 69 / अ–12 / 2011–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13–05–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी बकस्वाहा, जिला–छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 18/03/19 (आर.के. जैन) सदस्य	